।। पुलिस थाना मथानिया जोधपुर पूर्व ।।

ps.mathaniya.east.jodhpur@rajpolice.gov.in 02926–222124

दिनांक 04.02.2023

।। प्रेस नोट ।।

➢ हाईकोर्ट में नौकरी का झांसा देकर धोखाधडी व जालसाजी करने के दो अभियुक्त गिरफ्तार

- घटना का विवरणः–दिनांक 03.02.2023 को प्रार्थी श्री दिनेश पुत्र चैनाराम निवासी रिनीया की अपने व अपने अन्य साथियो को हाईकोर्ट जोधपुर में चपरासी व हल्कारा के पद पर सरकारी नौकरी लगाने का झांसा देकर प्रत्येक से रूपये व असल दस्तावेजात लेने व धोखाधडी तथा जालसाजी करने की रिपोर्ट प्राप्त हुई जिस पर पर प्रकरण संख्या 31/2023 धारा 420,406,467,120बी भादस में दर्ज कर अनुसंधान शुरू किया गया।
- किया गया अनुसंधानः– प्रार्थीगणो के साथ हुई धोखाधडी व जालसाजी पर गिरफ्तारसुदा अभियुक्त नीरज यादव पुत्र संतोष कुमार निवासी मेहतावास पुलिस थाना मण्डाणा जिला अलवर से अनुसंधान किया जाकर करीब 30 व्यक्तियो के असल शेक्षणिक दस्तावेज व एक वाहन हुण्डई आई 20 जब्त किया गया। प्रकरण हाजा की घटना में संलिप्त मुलजिम तारांचद पुत्र मंगलाराम निवासी गोपासरिया को दस्तयाब किया जाकर बाद अनुसंधान गिरफ्तार किया गया। प्रकरण हाजा में अन्य संलिप्त मुलजिमानो के संबंध में अनुसंधान व तलाश जारी है।
- अभियुक्तगणो द्वारा घटना कारित किया जाने का तरिका वारदातः– अभियुक्तगणो द्वारा आम छात्रो को हाईकोर्ट राजस्थान जोधपुर बैंच में चपरासी व हल्कारा के पद पर सरकारी नियुक्ती दिलाने का झांसा देकर करीब 50–60 व्यक्तियो से असल शेक्षणिक दस्तावेज व रूपये प्राप्त कर आमजन के साथ धोखाधडी व जालसाजी करना।

सही/–
(राजीव भादू नि0पु0)
थानाधिकारी
पुलिस थाना मथानिया
जोधपुर पूर्व।